

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देधार नाली चम्पाडी
पीपल अनेरिया सेक अनेरिया वेवधार मोहनिहैया
नावापण पंखिर दारजोर हेरा युगानी अफनगौर
आतगीवेर नागचला मोहलगा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - अनेरिया पात
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अनेरिया परियोजना के निर्माण हेतु
हे0 आरक्षित वन भूमि ४ हे0 सिविल सोरम भूमि 3.570 हे0 वन पंचायत भूमि 1.7031 हे0 अर्थात् कुल ९.२७३१
हे० वन भूमि का अनेरिया विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अनेरियापात द्वारा दिनांक 1.9.014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि उन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
संस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अनेरियापात के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

शक्रनगरी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चम्पाडी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

मदनशिरु
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

ग्राम सचिव
अनापत्ति प्रमाण पत्र
10 ख०-स्याल्दे, अल्मोड़ा

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत स्याल्दे
जि० अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देवाट-तल्ली चम्पाड़ी
मंदिर मालवीय धारकी रौरा मुनानी मालीखेत
नागचुला मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तल्ली चम्पाड़ी / देवाट-तल्ली चम्पाड़ी
तहसील देवाट जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरीख परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....हे० आरक्षित वन भूमिहे० सिविल सोयम भूमि 3.570 हे० वन पंचायत भूमि 1.713 हे०) अर्थात् कुल 5.273
हे० वन भूमि का लो० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तल्ली चम्पाड़ी द्वारा दिनांक 1-9-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चम्पाड़ी के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

[Signature]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
जिला पंचायत चम्पाड़ी
वि० ख० स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

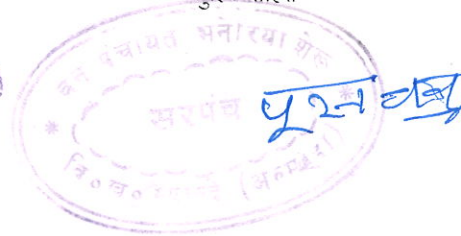
अनुराधा
प्रमुख
ग्राम पंचायत स्याल्दे
जिला अल्मोड़ा

[Signature]
नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

[Signature]
चन्द मोहन सिंह
सदस्य
ग्राम पंचायत चम्पाड़ी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

भवान गिरी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चम्पाड़ी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

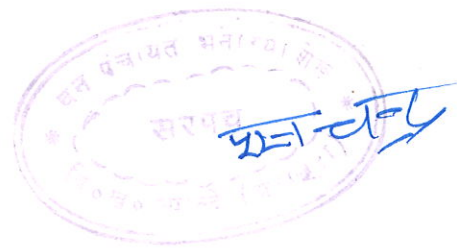


दिनांक 1.9.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत तनकी चम्याड़ी / भनोरी / पता / डोकुमसेया, नरभनोरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पूजा चन्द	पूजा चन्द
2	दीराव लखार	दीराव लखार
3	मोहन दत्त	मोहन दत्त
4	मोहन सिंह रावत	मोहन सिंह
5	अरव दत्त	अरव दत्त
6	नीलाधर जेखटियाल	नीलाधर
7	जोहाजी सिंह	जोहाजी सिंह

क्र.सं. नाम पिता/पति हस्ताक्षर
8 गोविन्दसिंह खोटा श्री भवानसिंह खोटा गोविन्द

भवान सिंह
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चम्याड़ी
वि० ख० स्यादे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान / सरपंच



परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के आन्तर्गत तल्ली चम्पाड़ी सेर
अनारिया वनधार मोहरी हुआ नारायण मण्डि
द्वारा मोहरी सेर भुनानी कृषि मण्डि नारायण
मोहरी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तल्ली चम्पाड़ी
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....है) आरक्षित वन भूमि 3.570 है) सिविल सोयम भूमि 1.703 है) अर्थात् कुल 5.273
है) वन भूमि का ले. नि. वि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तल्ली चम्पाड़ी द्वारा दिनांक 1.9.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तल्ली चम्पाड़ी के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ले. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

Prakash Kumar
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तल्ली चम्पाड़ी
वि. ख. 0-स्याल्दे, जिला-अल्मोड़ा

अमरीश

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत स्याल्दे
जि. 0 अल्मोड़ा

नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

बडमोहासे
मन्द मोहन राव
सदस्य
क्षेत्र पंचायत चम्पाड़ी
वि. ख. 0-स्याल्दे (अल्मोड़ा)

भवान गिरी

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चम्पाड़ी
वि. ख. 0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

Prakash Kumar

सचिव
वन पंचायत तल्ली चम्पाड़ी
वि. ख. 0 स्याल्दे अल्मोड़ा

दिनांक 1.9.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत चम्पाडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	महेन्द्र सिंह	
	भक्त गिरी	
	मोलाहन	
	विजयप्रोहन बहुगुणा	
	मन्वादन बल्लोही	
	ललित गिरी	
	सतीश गिरी	
	मौला गिरी	

मौला गिरी

शिवम सिंह

शिवम सिंह

चम्पाडी

मौला गिरी

सतीश गिरी

मौला गिरी

शिवम सिंह

शिवम सिंह

सचिव

ग्राम पंचायत चम्पाडी

वि. ख. स्यालदे अल्मोड़ा

चम्पाडी

भक्त गिरी

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत चम्पाडी

ग्राम प्रधान सचिव वि. ख. स्यालदे (अल्मोड़ा)

शिवम सिंह

सचिव

ग्राम पंचायत चम्पाडी

वि. ख. स्यालदे अल्मोड़ा

चम्पाडी

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देवार तल्ली चम्पाड़ी
सरु अनियारा, लेखनधार मोहनि टैप्पा नारायण भट्टि
धालोरे देरा मुजारी कफलागो (मालीखेत नागा मुला
जोहर नागा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उरवालावाला

तहसील धालोरे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डालोरे परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....हे० आरक्षित वन भूमि x हे० सिविल सोयम भूमि 3.570 हे० वन पंचायत भूमि 1.7031 हे०) अर्थात् कुल 5.2731
हे० वन भूमि का जो० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उरवालावाला द्वारा दिनांक 1-9-2014 को सम्मन् ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उरवालावाला के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जो० नि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
[Signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत उरवालावाला
पि० अ०-स्यालदे, जिला-अल्मोड़ा

अमरी देवी
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत स्यालदे
जि० अल्मोड़ा

[Signature]
नामा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

[Signature]
चन्द्र मोहन सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत चम्पाड़ी
पि० अ०-धालोरे (अल्मोड़ा)

सरपंच [Signature]
वन पंचायत देवार तल्ली
पि०
वि०

[Signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत उरवालावाला
पि० अ०-स्यालदे (अल्मोड़ा)
मुहर सहित

दिनांक 1.9.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 31.08.14 ता. 14.9.

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	देवीदत्त	देवीदत्त
	गोविन्द वल्लभ देवीदत्त	गोविन्द
	गोविन्द	गोविन्द
	गोविन्द सिंह	गोविन्द
	राम सिंह	राम सिंह
	बालीदत्त	बालीदत्त

ग्राम प्रधान / सरपंच
लीलादेवी
इपान

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देहाट तहसील नारायण
मंदिर मालमीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखे
नागधूला मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुनानी

तहसील ह्याल्दे

जिला

अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत धारकोट परियोजना के निर्माण हेतु (.....

.....हे० आरक्षित वन भूमि X हे० सिविल सोयम भूमि 3.570 हे० वन पंचायत भूमि 1.7031 हे०) अर्थात् कुल 5.2731

हे० वन भूमि का को० ख० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

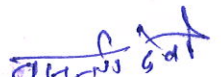
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुनानी द्वारा दिनांक 1.9.14 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुनानी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को० ख० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)


ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत मुनानी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)



प्रमुख
क्षेत्र पंचायत स्याल्दे
जि० अल्मोड़ा

दिनांक 1.9.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मुनानी / मालभीड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वलन्नी देवी	वलन्नी देवी
2	रामप्रसाद ठोडियल	राम
3	झम्बा दत्त मिश्रा	झम्बा दत्त मिश्रा
4	देवी दत्त मिश्रा	देवी दत्त मिश्रा
5	चंड मिश्रा	चंड मिश्रा
6	वीरेंद्र सिंह	वीरेंद्र सिंह

हल्क सिहरावल

हरभासिंह

~~राम~~
सरपंच
वन पंचायत बसभीड़ा (मालभीड़ा)
वि० ख० स्यालदे (अल्मोड़ा)

वलन्नी देवी
प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत मुनानी
वि० ख० स्यालदे (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देहात तल्ली चम्पा
नायका मन्दिर बालभवा टोल रोड सेरा मुनानी
कमिन्गो मन्त्रीपद राजकुल मन्दिर मन्दिर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वसुभक्ति
तहसील रायपुर जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वसुभक्ति परियोजना के निर्माण हेतु (.....
हे० आरक्षित वन भूमि ४ हे० सिविल सोयम भूमि 3.570 हे० वन पंचायत भूमि 1.7031 हे०) अर्थात् कुल 5.2731
हे० वन भूमि का ७०० ११० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मुनानी द्वारा दिनांक 1.4.04 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विनोदी विमर्श के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ७०० ११० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, सचिव
वि० नं० ग्याल्दे (अल्मोड़ा)

नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

गंगाप्रसाद

सरपंच,

वन पंचायत मुनानी
वि० नं० मुनानी जिला अल्मोड़ा

कृष्णदेवी
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत स्याल्दे
जि० अल्मोड़ा

दिनांक 1-9-2014 को ग्राम सभा की सम्मान बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मुनानी / सिन्धुली जिला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
2	गोपाल दत्त	गोपाल दत्त
3	केदार सिंह	केदार सिंह
4	हीरा सिंह	हीरा सिंह
5	कौलेश चंड	कौलेश चंड
6	राजे सिंह	राजे सिंह
7	देव सिंह	देव सिंह

8 - अंगर सिंह

अंगर सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

अंगर सिंह
सरपंच

1-9-2014
ग्राम पंचायत मुनानी
ग. प्रो. मुनानी जिला बलमोड

परियोजना का नाम :-

अनापत्ति के अन्तर्गत वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र
अनापत्ति के अन्तर्गत वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र
अनापत्ति के अन्तर्गत वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पंचालगांव
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु
हे० आरक्षित वन भूमि ५ हे० सिविल सोयम भूमि ३.५७० हे० वन पंचायत भूमि १.७०३ हे० अर्थात् कुल ५.२७३ हे०
हे० वन भूमि का ५.२७३ विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु अनापत्ति
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पंचालगांव द्वारा दिनांक १-१-०१५ का सम्पूर्ण ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष
में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचालगांव
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ५.२७३ प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

नीमा बंगारी

सदस्य जिला पंचायत
14-चिन्तोली (अल्मोड़ा)

गोपनी

ग्राम पंचायत कफलगी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

दीपक

वन पंचायत पंचालगांव
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

अनापत्ति

पंचायत

क्षेत्र पंचायत स्याल्दे
जि० अल्मोड़ा

प्रासप - 25.1

दिनांक 1.9.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत प.प. लोहा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
---------	---	-----------

- ① धीरज
- ② रामेश्वर
- ③ हरिप्रसाद सिंह
- ④ विनोद
- ⑤ बलराम

धीरज
हरिप्रसाद सिंह
विनोद
बलराम
पंचायत पट्टालगाव
दि. 08.09.2014 (मल्लोडा)

आनंदी
प्रधान

ग्राम पंचायत कफलगाव
दि. 08.09.2014 (मल्लोडा)

दिनांक 1-9-0/1 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मन्तरिया पट्टी ग्राम नं० १

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मदनसिंह	मदनसिंह
2	दिवानसिंह	दिवानसिंह
3	मोहनसिंह	मोहनसिंह
4	कमलादेवी	कमलादेवी
5	प्रनराम	प्रनराम
6	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह
7	जमुनादेवी	जमुनादेवी

मदनसिंह
ग्राम पंचायत मन्तरिया पट्टी
ग्राम नं० १
ग्राम प्रधान / सरपंच

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट-तल्ली नारायण मंदिर मालभोज घाटकौट सेरा मुनानी गालीखेत नागचूला मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

ककलंगर मिगेहवा

तहसील

स्याल्दे

जिला

अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....हे० आरक्षित वन भूमि X.....हे० सिविल सोयम भूमि 3.570 हे० वन पंचायत भूमि 1.7031 हे०) अर्थात् कुल 5.2731
हे० वन भूमि का जो० री० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ककलंगर द्वारा दिनांक 1-9-2014 को सम्मन् ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ककलंगर के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि जो० री० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विभाग, अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
ग्राम पंचायत अल्मोड़ा

नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-विन्तोली (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

महेश सिंह

ग्राम पंचायत देघाट
दिनांक 1.9.2016

सुधीर
प्रमुख
क्षेत्र पंचायत स्याल्दे
जि० अल्मोड़ा

दिनांक 1.9.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत काकापुर / जेनो देया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	पुरुषोत्तम पपने	पुरुषोत्तम
2-	मोहनसिंह	mohansingh.
3-	ब्रजमोहन सिंह	Brijmohan
4-	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
5-	कैलाश चन्द्र	कैलाश चन्द्र
6-	भगवतसिंह	भगवतसिंह
7-	शिवरत्न पाण्डे	शिवरत्न पाण्डे

ग्राम प्रधान / सरपंच

मोहनसिंह

ग्राम पंचायत मोहनसिंह

दिनांक 1.9.2014

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के इन्सार्गरे देघार तालमी चम्पाडी नारायण मन्दिर तालमीडी घाट कोट सेरा पुनानी कफलागौर तालमीडी नारायण मन्दिर मण्डि

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वेतनधार कफलागौर
तहसील रूपर जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपयोग परियोजना के निर्माण हेतु (.....
.....हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल सोयम भूमि 3.570 हे० वन पंचायत भूमि 1.703 हे०) अर्थात् कुल 5.273
हे० वन भूमि का लगाव विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत वेतनधार द्वारा दिनांक 1-9-014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम वेतनधार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लगाव प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत वेतनधार
कफलागौर तालमीडी
अल्मोड़ा

नीमा बंगारी
सदस्य जिला पंचायत
14-विन्तोली (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत कफलागौर
अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच
महेश मंडित
अल्मोड़ा

अन्दी देवी
ग्राम पंचायत स्याल्दे
अल्मोड़ा

दिनांक 1.9.2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गैरनधार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश लाल	जगदीश लाल
2	धन सिंह	धन सिंह
3	मोहन सिंह	मोहन सिंह
4	लालचरण सिंह	लालचरण सिंह
5	लालचरण मोहन सिंह	लालचरण मोहन सिंह
6	लालचरण हरि सिंह	लालचरण हरि सिंह

गान्धी डेरा
प्रधान

ग्राम पंचायत कफलगाँव
वि.सं. 02/2014 (अनुसूचित)

ग्राम प्रधान / सरपंच

बसंत
ग्राम पंचायत, ग्राम कफलगाँव
वि.सं. 02/2014

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- विद्यार्थी नारायण मन्दिर धारकोट सेर पुनर्मा प्रालम्ब
मालीखेत - नारायण मन्दिर सेर मा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कपलगेर
तहसील हथौडे, जिला अ.प्र.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अ.प्र. के अन्तर्गत हथौडे परियोजना के निर्माण हेतु (—) हे० आरक्षित वन भूमि, 3.52 हे० सिविल सोयम भूमि 1.20 हे०, वन पंचायत भूमि (—) हे०) अर्थात् कुल 5.32 हे० वन भूमि का लोकप्रिय विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कपलगेर द्वारा दिनांक 25/01/11 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कपलगेर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोकप्रिय प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
सेर

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह०/-
ग्राम सचिव

ग्राम सचिव कपलगेर
वि.प्र. अ.प्र. (अ.प्र.)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 25.01/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत on 25.01/18

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	ग्रामपंचायत - सुन्दरगढ़ 870 महुडागढ़	
2	" बालागढ़ 101 ननगढ़	
3	" कुवट 16810 चौला	
4	" गवाणगढ़ 100 देवागढ़	
5	" व.चौ 101-810 दौमलागढ़	
6	" व.चौ 163-810 वडनागढ़	
7	" दीउ डौली 100 महुडागढ़	
8	" नवानगढ़ 101 गवाणगढ़	
9	" गेपुली डौली व.चौ 168	
10	" निमगाणगढ़ 101 मवानगढ़	
11	" गवाणगढ़ 101 ग.डी 101	
12	" देव 165 810 चामगढ़	
13	" हरीद्वारा 810 डौली द.व.	
14	" शा.डी डौली 101 ग.डी 168	
15	" गवाण 1 व.चौ 163	

ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र
वि. 870 महुडागढ़ (अलमोड़ा)

.....
वि. 870 महुडागढ़ (अलमोड़ा)

ह0/-
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत कफलनगर
वि. 870 महुडागढ़ (अलमोड़ा)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

अनुसूचित जनजाति में देहात, लाली नारायण मन्दिर, माली
माली रवेत - मागी नूला रवाल भा 28 मागी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ह्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ह्याल्दे

उपखण्ड ह्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत रघोपुर
वन पंचायत ह्याल्दे हे० आरक्षित वन भूमि, ह्याल्दे हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.2 हे०
भूमि, अर्थात् कुल 5.2231 हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ह्याल्दे) की दिनांक 28-1-08 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री रघोपुर उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री रघोपुर उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
- 2- श्री रघोपुर उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी (अन्तोडा)
- 3- श्री रघोपुर सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री रघोपुर बी०डी०सी० क्षेत्र, बी०डी०सी० क्षेत्र, सदस्य/सचिव (अन्तोडा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि अनुसूचित जनजाति में देहात, लाली नारायण मन्दिर - माली रवेत

मागी नूला रवाल भा 28 मागी परियोजना हेतु 2.2 हे० वन
भूमि लोण्ड जि० सि० रा. रवेत

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रघोपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड 5400 के परिक्षेत्र के अन्तर्गत
हे0 वन भूमि प्रयोजन एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट-तल्ली नारायण मन्दिर
-मालभीड़ा-मालीखेत-नागचूलाखाल मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

10/06/15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा,
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

जम्मू अल्मोड़ा में देहाट, लल्ली नारायण मन्दिर, माली खेत - मागी चूला रवाल मो 22 मा 1

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ह्याल्दे
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ह्याल्दे

उपखण्ड ह्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत उप जिला
व न पंचायत भूमि, ह्याल्दे हे 0 आरक्षित वन भूमि, ह्याल्दे हे 0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ह्याल्दे
भूमि, अर्थात् कुल ह्याल्दे हे 0 वन भूमि) का
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ह्याल्दे) की दिनांक 28-1-08 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी, अध्यक्ष
- 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी (अल्मोड़ा)
- 3- श्री सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र बी 0 डी 0 सी 0 क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जम्मू अल्मोड़ा में देहाट, लल्ली नारायण मन्दिर - माली खेत - मागी चूला रवाल मो 22 मा 1 परियोजना हेतु ह्याल्दे वन भूमि ह्याल्दे

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ह्याल्दे द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड (21/06) परिक्षेत्र के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 5-273
हे0 वन भूमि प्रयोजिता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....
21/06/21

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

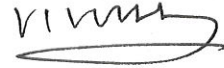
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद-.....
21/06/21

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट-तल्ली नारायण मन्दिर
-मालभीड़ा-मालीखेत-नागचूलाखाल मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा


11/06/15
जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा,
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

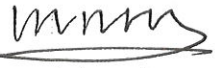
It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire <u>5.2731</u> het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

बिला समाज कल्याण अधिकारी
अरमोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)


10/04/15
Signature
बिला अधिकारी
अरमोड़ा.

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that.....5.2731.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.....y. Doghed Narayan Mandir Dherkot- Munari Nagchola Kial.....Moter Road......

(Purpose for diversion of forest land) in...Almora...district falls within jurisdiction of...Kajalgair...village(s) in...Syode...Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire...5.2731...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

(Full name of the official seal of the District Collector)


1006/15
Signature

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....10/04/15.....at time.....11:00 AM.....at Almora, in which application claiming rights ofForest land..... area measuring5.2731 hect. for the Construction ofDeeghat Talli Narayan mandir-Nagchola Khali..... of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

बिला सनाज/कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

बिला अधिकारी
अल्मोड़ा.